

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ. 3()लेखा/प्रमुवसं/ब/2013-14/

दिनांक

समस्त वनाधिकारीगण।

विषय:- वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गये बैंक खातों के संबंध में।

संदर्भ:- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 8582-70/दिनांक 11.01.2017 एवं अरण्य भवन में बैठक दिनांक 31.01.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गये बैंक खातों को अविलम्ब बन्द कर सूचना 7 दिवस में भिजवाने हेतु लिखा गया था। दिनांक 24.01.2017 को मुख्य वन संरक्षकों को भी फोन पर सूचना भिजवाने हेतु इस कार्यालय द्वारा सूचित किया लेकिन आज दिनांक तक भी पूर्ण सूचना नहीं भिजवायी गई। दिनांक 31.01.2017 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), द्वारा ली गई बैठक में स्पष्ट रूप से खाते बन्द करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गये बैंक खातों को अविलम्ब बन्द करते हुए सूचना दिनांक 28.02.2017 तक भिजवाये। यदि किसी कार्यालय को बैंक खातों की आवश्यकता हो तो वित्त विभाग को अनुमति के लिए विस्तृत प्रस्ताव अविलम्ब भिजवाये।

भवदीय,

६६/-
वित्तीय सलाहकार
वन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ. 3()लेखा/प्रमुवसं/ब/2013-14/9638

दिनांक 7-2-17

प्रतिलिपि :- उप वन संरक्षक, आई.टी. अरण्य भवन, को वन विभाग की वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।

६/२/२०१७
वित्तीय सलाहकार
वन विभाग
राजस्थान, जयपुर